



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092020-222060
CG-DL-E-28092020-222060

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942

No. 379]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/28/डब्ल्यू/2013/डीडी/22/डब्ल्यू/आईएनएफ/13/डीसी/583/2017.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. अमित वसंत छेदा (सदस्यता सं. 142913), 3-128, लॉड भवन, रोड सं. 24-ए, जैन सोसाइटी, सायन वेस्ट, मुंबई-400 022 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 2 के खंड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. अमित वसंत छेदा (सदस्यता सं. 142913) के नाम को 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. अमित वसंत छेदा (सदस्यता सं. 142913) का नाम, 25 सितम्बर, 2020 से 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./244/2020-21]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2020

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/28/W/2013/DD/22/W/INF/13/DC/583/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Amit Vasant Chheda (Membership No. 142913), 3-128, Laud Bhuvan, Road No. 24-A, Jain Society, Sion West, Mumbai-400 022**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part II of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Amit Vasant Chheda (Membership No. 142913) from the Register of Members for a period of 06 (Six) months. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Amit Vasant Chheda (Membership No. 142913)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 06 (Six) months with effect from 25th September, 2020.

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./244/2020-21]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/202/13/डीडी/213/13/डीसी/497/16.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, **सीए. शैलेन्द्र श्रीवास्तव (सदस्यता सं. 401597), 117/22-ए, एन ब्लॉक, रानी गंज, काकादेव, कानपुर-208025** को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 2 के खंड (1) और पहली अनुसूची के भाग 1 के खंड (8) और खंड (9) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. शैलेन्द्र श्रीवास्तव (सदस्यता सं. 401597) के नाम को 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था और 10,000/- (दस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया था। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. शैलेन्द्र श्रीवास्तव (सदस्यता सं. 401597) का नाम, 25 सितम्बर, 2020 से 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन- III/4/असा./244/2020-21]

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2020

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/202/13/DD/213/13/DC/497/16.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Shailendra Srivastava (Membership No. 401597), 117/22-A, N Block, Rani Ganj, Kakadeo, Kanpur-208 025**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (8) & (9) of Part I of the First Schedule and Clause (1) of Part II of the Second

Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Shailendra Srivastava (Membership No. 401597) from the Register of Members for a period of 06 (Six) months and also imposed a fine of Rs. 10,000/- (Ten Thousand) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Shailendra Srivastava (Membership No. 401597), shall stand removed from the Register of Members for a period of 06(Six) months with effect from 25th September, 2020.**

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./244/2020-21]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/136/15/डीडी/111/आईएनएफ/15/डीसी/559/2017 और पीपीआर/31/16/डीडी/17/आईएनएफ/16-डीसी/774/18.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. हेमंत तुलसीदास मर्चेट (सदस्यता संख्या 033805), फ्लैट नंबर 4, पहला तल, साई मंजिल, 18, अल्टामाउंट रोड, मुंबई-400 026 को, पहले उल्लिखित मामले में पूर्वोक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 1 के खंड (9) के अर्थान्तर्गत और दूसरे उल्लिखित मामले में पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) और खंड (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. हेमंत तुलसीदास मर्चेट (सदस्यता संख्या 033805) के नाम को पहले मामले में 18 (अठारह) मास तथा दूसरे मामले में 3 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. हेमंत तुलसीदास मर्चेट (सदस्यता संख्या 033805) का नाम, 25 सितम्बर, 2020 से 04 (चार) वर्ष और 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./244/2020-21]

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2020

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/136/15/DD/111/INF/15/DC/559/2017 & PPR/31/16/DD/17/INF/16-DC/774/18.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Hemant Tulsidas Merchant (Membership No. 033805), Flat No. 4, 1st Floor, Sai Manzil, 18, Altamount Road, Mumbai-400 026**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (9) of Part I of the First Schedule and Clause (7) of Part I of the Second Schedule in first mentioned case and Clause(s) (7) & (8) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act in second mentioned case and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Hemant Tulsidas Merchant (Membership No. 033805) from the Register of Members for a period of 18(Eighteen) months in first case and additionally 3 years in the second case. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Hemant Tulsidas Merchant (Membership No. 033805), shall stand**

removed from the Register of Members for a total period of 4(four) years and 6(six) months with effect from 25th September, 2020.

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./244/2020-21]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/268/13-डीडी/259/13/डीसी/546/2017.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. सुजीत कुमार भट्टाचार्य (सदस्यता संख्या 011590), पी-143 लेक टाउन ब्लॉक ए, ग्राउंड फ्लोर, पी एस लेक टाउन, कोलकाता 700 089 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (4) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. सुजीत कुमार भट्टाचार्य (सदस्यता संख्या 011590) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. सुजीत कुमार भट्टाचार्य (सदस्यता संख्या 011590) का नाम, 25 सितम्बर, 2020 से 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./244/2020-21]

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2020

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/268/13-DD/259/13/DC/546/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held CA. Sujit Kumar Bhattacharyya (Membership No. 011590), P-143 Lake Town Block A, Ground Floor, P S Lake Town, Kolkata 700 089, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (4) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Sujit Kumar Bhattacharyya (Membership No. 011590) from the Register of Members for a period of 03(Three) months. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said CA. Sujit Kumar Bhattacharyya (Membership No. 011590), shall stand removed from the Register of Members for a period of 03 (three) months with effect from 25th September, 2020.

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./244/2020-21]